Houses and Public Sector Agencies. These measures are designed to help all exporters in the small scale sector.

Working of Planning Commission Commented Upon by Institute of Public Administration

1310. SHRI RAM SINGH AYARWAL:
SHRI ONKARLAL BERWA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether her attention has been drawn to the findings of the Indian Institute of Public Administration that the re-organized Planning Commission has not proved a professional and functional organization at all levels and has also failed to present any specific alternative before the National Development Council to enable it to take a rational decision on the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) Yes Sir.

(b) The Research Study Report, "The Re-organised Planning Commission" brought-out by the Indian Institute of Public Administration, is under examination.

श्री बलदेव सिंह की मृत्यु

1311. **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बलदेव सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रश्न में मालूम की गई जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और कितना समय इसे एकत्र करने तथा सदन के सभा पटल पर रखने में लगेगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस तथ्य की भी जांच कराने का है कि जिस दिन श्री बलदेव सिंह की मृत्यु हुई उस दिन वाल्टेज इतनी कम थी कि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती और उस दिन मिल को बिजली से नहीं बल्कि डीजल से चलाया जा रहा था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सूचना दी है:—

पावर स्टेशन के किसी भी इलाके में बिजली की खराबी को दर्ज करने के लिए बिजली विभाग का अपना प्रबंध होता है । तथापि, यह कार्य बिजली विभाग के प्रदाय क्षेत्र के आफीसर इंचार्ज का है जो कि आमतौर पर बिजली में आई खराबियों के विषय में सूचना प्राप्त करना है । उपभोक्ता से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिजली की खराबी की सूचना ड्यूटी पर तैनात बिजली के कर्मचारियों (जैसे लाइन मैन) को दे जो कि बिजली की खराबी को दर्ज करते हैं और उसे ठीक करते हैं ।

इस मामले में देहरा-गोपीपुर के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने, जिन्होंने इस केस की न्यायिक जांच की थी, जांच के दौरान उस इलाके के बिजली के सब-डिवीजनल आफीसर से आवश्यक पूछ-ताछ की और उन्हें यह विदित हुआ कि जिस दिन श्री बलदेव सिंह की मृत्यु हुई थी उस दिन बिजली में कोई खराबी नहीं थी ।

पर्याप्त विद्यमान व्यवस्थाओं को देखते हुए, उस इलाके में बिजली की खराबी को

दर्ज करने के सम्बन्ध में,हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के विशेषज्ञों के माध्यम से इस प्रकार की जांच-पड़ताल करवानी आवश्यक नहीं थी।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि स्थानीय पावर स्टेशन में बिजली की कोई खराबी दर्ज नहीं की गई थी और जिस दिन श्री बलदेव सिंह की मृत्यु हुई उस दिन बिजली भली-भांति कार्य कर रही थी।

जांच करने वाले मजिस्ट्रेट के अनुसार प्रत्यक्षतः यह सिद्ध हो गया कि श्री बलदेव सिंह की मृत्यु श्री मिल्खी राम की मिल में मशीन के लौह-दण्ड (शाफ्ट) के पट्टे के अन्दर फंसने और मशीन के कठोर पुर्जों से टकराने तथा बिजली का झटका लगने से हुई। परिस्थिति -साक्ष्य के आधार पर, उपायुक्त कांगड़ा ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 287 और 304-ए तथा धारा 201 के अन्तर्गत और आगे जांच पड़ताल के आदेश दिये थे।

मजिस्ट्रेट के जांच-परिणामों के अनुसरण में स्थानीय पुलिस स्टेशन में दिनांक 8-5-1970 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए/287/201 के अधीन एक मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को, अर्थात् चमेटा के श्री मिल्खी राम (मिल का स्वामी) तथा ट्विवर ग्राम, जिला गुरूदासपुर के श्री देव राज को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय ने जमानत पर छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को कहा गया है कि वह इस केस की जांच को अंतिम रूप से पूरा करें और न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह बताया है कि जिस दिन श्री बलदेव सिंह की मृत्यु हुई उस दिन विद्युत-दाब (Voltage) सामान्य थी और मिल को डीजल द्वारा नहीं चलाया जा रहा था।

People Affected by Floods in Sadar and Tufangunge Sub-Divisions in Cooch-Behar

1314. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the number of persons affected by the heavy rains and floods in the areas of Sadar and Tufangunge sub-Divisions in Cooch-Behar during the month of September/October, 1970; and

(b) the detailed financial help given by the Centre to the State in this regard and the steps taken by Government in helping those affected people?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) According to the reports received from the Government of West Bengal, 1,87,325 persons were affected due to floods in September, 1970, in the District of Cooch-Behar. Sub-Division-wise details of damage are not available.

(b) The Government of West Bengal have sanctioned Rs. 80,000/- as house building grant and Rs. 30,300/- for relief contingencies for the people affected by the floods in Cooch-Behar District. In addition, Dhotis, Sarees, Tarpaulins and milk powder were distributed.

A Central Team has already visited the State of West Bengal and has made an on the spot assessment of damages caused by floods. On the basis of their recommendations, the Government of India have accepted a ceiling of Rs. 19.85 crores for various items of expenditure in connection with the recent floods. Rs. 3 crores has already been advanced to the Government of West Bengal to meet their immediate requirement of funds for flood relief expenditure. Further assistance subject to the approved ceilings, will be released in the light of the progress of expenditure.

Bid to Occupy Anand Bhavan in Allahabad

1315. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any arrests were made on the 30th September, 1970 in regard to the abortive